अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017.

सं0 03/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 में,--

(i) प्रारूप 2 के क्रम संख्यांक 4 में मद सं0 (iv) में, सारणी और उद्धरण के पश्चात् निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी

क्रम सं0	**शुल्क**	**कुल शुल्क का ब्रेकअप (पहले से ही विहित शुल्क अनुपातों के अनुसार)**	**उपलब्ध केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय**	**शुल्क के संदाय के लिए प्रयुक्त केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय**	**शुल्क का नकद संदाय**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	786408	10000	10000	776408
2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	116505	1000	1000	115505
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 4) की धारा 5 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा समाश्रित शुल्क	97087	1500	1500	95587
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 के अधीन	0.0	0.0	0.0	0.0

	उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर				
5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल शुल्क	1000000	12500	12500	987500.”.

[फा.सं0 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 11/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 241(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।